

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लै.टे.(584)/2015/635 दिनांक 06.10.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा अवमानना याचिका संख्या 712/2015 अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1571/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 श्री राजेश कुमार नागर व अन्य 17 (कुल 18) के अध्यक्षीन लेब टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित लेब टैक्नीशियन जिन्होंने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इन्हे परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पद की पै मैट्रिक्स एल 8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :-

क्र.स.	पदस्थापन सूची क्रमांक 635 दिनांक 06.10.15 के क्र.स	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण दिनांक
1.	6	श्री दिलीप कुमार शर्मा	आदर्श पीएचसी शहरगढ (बांसवाडा)	05.06.81	03.11.15	02.11.17	03.11.17
2.	10	श्री गिरधारी लाल शर्मा	पीएचसी जसैला (डूंगरपुर)	07.07.80	04.11.15	03.11.17	04.11.17
3.	15	श्री श्रवण लाल यादव	सीएचसी डूंगरसारण (डूंगरपुर)	01.01.80	02.11.15	01.11.17	02.11.17
4	9	अमित भारद्वाज	पीएचसी देवदा (बांसवाडा)	16.02.88	04.11.15	03.11.17	04.11.17
5.	7	श्री दिवाकर शर्मा	पीएचसी जगपुरा (बांसवाडा)	15.06.80	04.11.15	03.11.17	04.11.17
6.	5	श्री तारा चन्द सैठी	पीएचसी नाहरपुरा (बांसवाडा)	10.10.79	20.10.15	19.10.17	20.10.17
7.	13	श्री प्रवीण गौतम	पीएचसी केन्द्र पाडवा (डूंगरपुर)	19.11.81	04.11.15	03.11.17	04.11.17

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 26.2.18

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1324/2018/ 151

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, सीएचएचओं/सीएचसी/पीएचसी।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर